

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. †2882  
दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति

†2882. श्री पी. सी. मोहन:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ भू-तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना या प्रोत्साहन शुरू किया है या प्रस्तावित किया है;
- (ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यक्षेत्र, वित्तीय परिव्यय, लक्षित क्षेत्रों (उदाहरणार्थ बैटरी विनिर्माण, ई-अपशिष्ट) और वर्तमान लाभार्थियों सहित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार खनिज पुनर्चक्रण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), अनुसंधान एवं विकास या चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहित कर रही है;
- (घ) पुनर्चक्रण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के विकास में खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल), आईआईटी जैसी संस्थाओं और उद्योग हितधारकों की क्या भूमिका है;
- (ङ) खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ाने में सरकार द्वारा किन-किन चुनौतियों की पहचान की गई है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (च) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज उपयोग, विशेषकर ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पुनर्नवीनीकृत सामग्री के लिए कोई राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री  
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): दिनांक 29.01.2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के बाद स्थापित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) में महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को लचीली बनाने के लिए प्रमुख उपाय शामिल हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और निष्कर्षण हेतु ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जैसे प्रयुक्त उत्पादों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना इस मिशन का एक भाग है।

(ग) और (घ): खान मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत, पुनर्चक्रण के माध्यम से, खनिज क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने के लिए, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और स्टार्ट-अप्स तथा एमएसएमई को सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्चक्रण इस कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में से एक है और आईआईटी सहित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्त पोषण के लिए पात्र होने हेतु उद्योग से आंशिक अंशदान प्राप्त करना होता है। इस प्रकार, उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्चक्रण सहित खनिज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करने में आईआईटी जैसे संस्थानों के अलावा उद्योग की भूमिका सुनिश्चित की जाती है। खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड की भूमिका मुख्य रूप से विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों की खोज करना है।

(ड) और (च): उद्योग को समर्थन की कमी खनिज पुनर्चक्रण के विस्तार में बाधा डालती है, और इसलिए प्रोत्साहन योजना को एनसीएमएम का भाग बनाया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए उद्योग का विकास प्रारंभिक चरण में होने के कारण, महत्वपूर्ण खनिजों के उपयोग में पुनर्चक्रित सामग्री के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

\*\*\*\*\*